



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.- NCST/ATY-1011/JH/17/2023-APCR

दिनांक: 22.03.2023

सेवा में,

1. श्री छवि रंजन
उपायुक्त रांची
जिला - रांची
रांची -834001 (झारखंड)
ई मेल: dc-ran@nic.in

2. श्री किशोर कौशल
पुलिस अधीक्षक
जिला - रांची
रांची -834004 (झारखंड)
ई मेल: ssp-ranchi@jhpolicе.gov.in

विषय: अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की जमीन हड़पने, पुलिस द्वारा गलत मामला दर्ज करने तथा कार्यवाही ना करने के संबंध में - स्थानीय ग्रामीण जनता, ग्राम सरगांव, थाना - माण्डर, जिला - रांची, झारखंड का अभ्यवेदन

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को स्थानीय ग्रामीण जनता, ग्राम सरगांव, से एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

(हरि राम मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि:

स्थानीय ग्रामीण जनता,
ग्राम सरगांव, थाना - माण्डर,
जिला - रांची, झारखंड - 495224

प्रतिलिपि:

श्री समीर उरांव,
माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा)
बी- 303, एम एस फ्लॉट,
बाबा खड़कसिंह मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

WRT YOUR LETTER DATED 14-03-2023

O/o Hon'ble CP

(हरि राम मीना)
अनुसंधान अधिकारी